कर्नाटक बार एसोसिएशन पर उठता प्रश्न

लेखक-जयना कोठारी (वरिष्ठ अधिवक्ता)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

29 फरवरी, 2020

"कर्नाटक में बार एसोसिएशन ने सदस्यों को राजद्रोह के मामलों में आरोपी का प्रतिनिधित्व नहीं करने का निर्देश दिया है, जो संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन करता है।"

देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के संदर्भ में पिछले कुछ महीनों में हुई घटनाएं काफी विचलित करने वाली रही हैं।, सभी क्षेत्रों के आम लोग जैसे सिविल सोसाइटी, छात्र, एक्टिविस्ट आदि भारत के कई हिस्सों में बिना रोक सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालाँकि, नए नागरिकता कानून में जो भेदभाव की बात कही जा रही है, उसके खिलाफ ऐसी सामूहिक स्तर पर विद्रोह हमने पहले कभी नहीं देखा होगा और पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी कर्नाटक में हुआ उसे भी हमने पहले कभी नहीं देखा होगा।

अदालतें, जो अन्याय से ग्रसित लोगों को न्याय देने का कार्य करती हैं और एक ऐसी मंच है जहाँ हर व्यक्ति (जिसमें सबसे जघन्य अपराध के आरोपी व्यक्ति भी शामिल हैं) एक निष्पक्ष न्याय प्राप्त कर सकता है। लेकिन वर्तमान में यह भीड़ के लिए एक घर के रूप में तब्दील हो रही हैं और आरोपी व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व पर लगाम लगा रही हैं।

दो अलग-अलग उदाहरणों में, कर्नाटक में अधिवक्ताओं के संघों ने उन लोगों के लिए कोई कानूनी प्रतिनिधित्व करने से रोकने वाले प्रस्तावों को पारित किया है जो सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल थे और विभिन्न आपराधिक अपराधों के तहत उनपर आरोप लगाए गए थे। पहला उदाहरण जनवरी में मैसूर से जुड़ा हुआ है, जहाँ एक युवा छात्र "फ्री कश्मीर" लिखे हुए पोस्टर पकड़े हुए एक सीएए-विरोधी विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और कई अन्य ऐसे थे जिनपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया

क्या है?

- बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय बार को विनियमित करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद द्वारा बनाई गई एक सांविधिक निकाय है।
- यह संसद द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित की गयी थी।
- यह संस्था अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और उनके हितों की रक्षा करती है तथा उनके लिए प्रारंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये कोष का सृजन करती है।
- इस संस्था के द्वारा अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को तय करना तथा अपने अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके विनियमन करना तय किया जाता है।
- यह कानूनी शिक्षा के मानक तय करती है तथा ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है जिनके द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी डिग्री एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिये योग्य होती है।

पृष्ठभूमि

- 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद, मद्रास में आयोजित अपनी वार्षिक बैठक में इंटर-यूनिवर्सिटी बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अखिल भारतीय बार की आवश्यकता पर जोर दिया गया और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कानून व्यवस्थाओं के लिए समान रूप से उच्च मानक रखने की वांछनीयता पर जोर दिया गया।
- मई 1950 में, श्री एस. वरदाचियार की अध्यक्षता में आयोजित मद्रास प्रांतीय वकील सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि भारत सरकार को एक अखिल भारतीय बार के लिए एक योजना तैयार करने और नए संविधान के अनुरूप लाने के लिए भारतीय बार काउंसिल अधिनियम में संशोधन करने के उद्देश्य से एक समिति की नियुक्ति करनी चाहिए।
- 1 अक्टूबर, 1950 को हुई बैठक में, मद्रास की बार काउंसिल ने इस संकल्प को अपनाया।

मैसूर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने इस छात्र को "राष्ट्र-विरोधी" करार देते हुए 16 जनवरी को सभी वकीलों को वकालत दाखिल न करने का निर्देश देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। बार एसोसिएशन ने और भी आगे बढ़कर मैसूर सिटी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कई स्थानों पर संकल्प की एक प्रति संलग्न की तथा अपने सभी सदस्य अधिवक्ताओं को प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संदेश भेजा कि वे इनका प्रतिनिधित्व न करें।

इस महीने, जब दो कश्मीरी छात्रों पर सीएए के विरोध के संबंध में फिर से देशद्रोह का आरोप लगाया गया, तो हुबली बार एसोसिएशन ने इन छात्रों के साथ न होने और इनका प्रतिनिधित्व न करने के लिए एक आदेश पारित किया। कोर्ट के सामने पेश किए जाने पर छात्रों की पिटाई और हाथापाई की गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद, जहाँ न्यायालय ने वकीलों को उनका प्रतिनिधित्व करने और छात्रों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की बात कही थी, वकीलों द्वारा उनके लिए जमानत की अर्जी दाखिल करने का प्रयास करने पर उन्हें हिंसा और हाथापाई का सामना करना पड़ा।

बार एसोसिएशन क्या होता है?

- बार एसोसिएशन वकीलों का एक पेशेवर संघ होता है।
- कुछ बार एसोसिएशन अपने अधिकार क्षेत्र में कानूनी पेशे के नियमन के लिए जिम्मेदार हैं, अन्य पेशेवर संगठन अपने सदस्यों की सेवा के लिए समर्पित हैं, और कई मामलों में वे दोनों के लिए जिम्मेदार हैं।
- बार एसोसिएशनों में सदस्यता क्षेत्राधिकार के आधार पर वकीलों के अभ्यास के लिए अनिवार्य या वैकल्पिक हो सकती है।

राजद्रोह कानून क्या है?

- आईपीसी की धारा 124A कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति भारत की सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देता है जिससे देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है तो उसे उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। इन गतिविधियों का समर्थन करने या प्रचार-प्रसार करने पर भी किसी को देशद्रोह का आरोपी मान लिया जाएगा।
- साथ ही यदि कोई व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इन गतिविधियों में लेख लिखना, पोस्टर बनाना, कार्टून बनाना जैसे काम भी शामिल होते हैं।
- इस कानून के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर दोषी को 3 साल से लेकर अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।
- लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इन गतिविधियों से पैदा होने वाले खतरे को कैसे मापा जाएगा, इसको लेकर धारा 124ए स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं बताती।

बार एसोसिएशनों का यह पैटर्न, जो वकीलों को आरोपी का प्रतिनिधित्व नहीं करने और अदालत परिसर में छात्रों के साथ हिंसा करने से जुड़ा है, पूरी तरह से अवैध है। हालांकि इन प्रस्तावों का कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है, लेकिन अदालत परिसर में हिंसा वकीलों को आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने से रोक सकता है। यह निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा कि जिला बार का कोई भी स्थानीय वकील इनके लिए पेश होने की हिम्मत नहीं करेगा।

न केवल ऐसी कार्रवाई अवैध और आपराधिक है, जब इसे हिंसा के साथ युग्मित किया जाता है, बल्कि यह सभी अभियुक्तों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 22 (1) यह गारंटी देता है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताये बगैर हिरासत में नहीं लिया जा सकता, उसे उसके परामर्श लेने के अधिकार से भी वंचित नहीं किया जा सकता और साथ ही उसे अपनी पसंद के वकील चुनने के अधिकार से भी वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए, प्रत्येक अभियुक्त को कानूनी प्रतिनिधित्व का मौलिक अधिकार है और इसलिए बार एसोसिएशन द्वारा इस बहुमूल्य अधिकार से आरोपी व्यक्तियों को वंचित करना काफी विचलित करने वाला प्रतीत होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद सुकुर अली बनाम असम राज्य (2011) मामले में कहा कि एक आपराधिक मामले में भी, भले ही अभियुक्त के लिए संलग्न वकील किसी कारणवश उपस्थित न हो, अदालत को वकील अनुपस्थिति में अभियुक्त के खिलाफ एक आपराधिक मामला तय नहीं करना चाहिए और ऐसी स्थिति में अदालत को अभियुक्तों के बचाव के लिए न्यायालय मित्र (amicus curiae) के रूप में एक और वकील की नियुक्ति करनी चाहिए।

ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता है और इसे अभियुक्तों को एक उचित ट्रायल दिए बिना दूर नहीं किया जा सकता है - जिसका अर्थ है कानूनी प्रतिनिधित्व के साथ एक ट्रायल। एक अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के बिना सुनवाई संवैधानिक अर्थों में उचित प्रक्रिया के बिना होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल वकील ही है जो कानून के साथ बातचीत करता है और एक आपराधिक मामले में एक अभियुक्त का बचाव कर सकता है और यदि एक आपराधिक मामले (चाहे एक मुकदमा हो या अपील/ पुनरीक्षण) एक वकील की अनुपस्थिति में अभियुक्त के खिलाफ फैसला किया जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुनवाई में कहा की कि 26/11 मुंबई हमलों के मामले में आरोपी अजमल कसाब का भी कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ पेश किया गया था। वकीलों और कानूनी पेशेवर सदस्यों के रूप में, सभी के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी आरोपी के कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार को नाकारा नहीं जा सकता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. कर्नाटक बार एसोसिएशन राजद्रोह के मामलें से संबंधित आरोपियों का प्रतिनिधित्व न करने के कारण चर्चा में बना हुआ है। अभियुक्त को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रत्येक अभियुक्त को कानूनी प्रतिनिधित्व का मौलिक अधिकार प्राप्त है।
2. अभियुक्त को प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होना अनुच्छेद-21 का उल्लंघन होगा।
3. अनुच्छेद 22 के तहत् गिरफ्तारी का आधार बताए बिना व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2

(c) केवल 3 (d) 1 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. The Karnataka Bar Association has been in the news for not representing the accused in connection with sedition cases. consider the following statements in the context of the rights provided by the constitution to the accused:

1. Every accused has the fundamental right to legal representation.
2. Non-representation of the accused would be a violation of Article-21.
3. Under Article 22 a person can be detained without stating the basis of arrest.

Which of the above statements is/are correct ?

(a) Only 1 (b) 1 and 2

(c) Only 3 (d) 1 and 3

नोट : 28 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'भारतीय न्याय प्रणाली में पक्ष-विपक्ष दोनों को कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का सिद्धांत प्रचलित है।' ऐसे में कर्नाटक में देशद्रोह के मामलों के अभियुक्तों का केस न लड़ने का निर्णय किस प्रकार से न्याय के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

'The principle of ensuring legal aid to both the prosecution and prosecuted prevails in the Indian judicial system.' In such a way, how does the decision not to contest the case of the accused in sedition cases in Karnataka violate the fundamental principle of justice? Discuss. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।